

# लखीमपुर मामले में योगी पुलिस से सुप्रीम कोर्ट नाराज, गवाहों के बयान दर्ज कराने का निर्देश

जेपी सिंह

उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि लखीमपुर खीरी मामले के शेष गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं। इस मामले में राज्य सरकार की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि उसे लगता है कि वह इस मामले में बहुत धीमे काम कर रही है। पीठ तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में सुनवाई कर रही थी। पीठ को राज्य सरकार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 44 में से चार गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं।

पीठ ने कहा कि उसे यह आभास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में अपने कदम पीछे खींच रही है। पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की कि दंड प्रक्रिया सहित की धारा 164 के तहत केवल 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, हालांकि 44 गवाह हैं। पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से पूछा कि अन्य गवाहों के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए। साल्वे ने जवाब दिया कि यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि दशहरे की छुट्टियों के कारण अदाततें बंद थीं। लेकिन पीठ ने कहा कि छुट्टियों के दौरान आपराधिक अदालतें बंद नहीं होती।

इस बिंदु पर, यूपी राज्य की वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि पुलिस अपराध स्थल का पुनर्निर्माण कर चुकी है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अपराध स्थल का पुनर्निर्माण और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करना दो अलग-अलग चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि 164 के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग अलग है। यह एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने है। इसका साक्ष्य मूल्य कहीं बेहतर है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं, कृपया इसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि आपको



धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए कदम उठाने होंगे।" पीठ ने कहा कि विशेष जांच दल को संवेदनशील गवाहों की पहचान करनी होगी और उन्हें सुरक्षा देनी होगी और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनके बयान दर्ज कराने होंगे, क्योंकि इसका अधिक स्पष्ट मूल्य होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपकी एसआईटी पहचान सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन हैं और उन्हें धमकाया जा सकता है।

पीठ ने लखीमपुर खीरी में हाल ही में हुई हिंसा की घटना में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की रिंचाई की। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्टेट्स रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दायर की थी। पीठ ने कहा कि सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए ताकि कोर्ट को इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब साल्वे ने कहा कि एक सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट दायर की गई है। पीठ ने "आखिरी मिनट" पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने पर नाराज़गी व्यक्त की। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि हमें अभी सीलबंद करवर मिला है। कल रात 1 बजे तक हमने किसी अतिरिक्त सामग्री का इंतजार किया। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि उसने रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने के लिए नहीं कहा। हालांकि साल्वे ने शुक्रवार तक के लिए स्थगन का अनुरोध किया, लेकिन

पीठ ने इनकार कर दिया। स्टेट्स रिपोर्ट देखने के बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई।

पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें लखीमपुर खीरी की हालिया हिंसक घटना की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिसमें आठ लोगों की जान जाने का दावा किया गया था, जिनमें से चार कि सान प्रदर्शनकारी थे, जिन्हें कथित तौर पर आरोपी केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में वाहनों द्वारा कुचल दिया गया था।

साल्वे ने बताया कि किसानों को वाहन चलाने से संबंधित अपराध में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उनमें से चार पुलिस हिरासत में हैं और बाकी न्यायिक हिरासत में हैं। पीठ ने वरिष्ठ वकील से सवाल किया कि बाकी आरेपियों की पुलिस हिरासत की मांग क्यों नहीं की गई। सीजेआई ने जवाब दिया, "जब तक पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करती, तब तक आपको पता नहीं चलेगा।"

राज्य की वकील गरिमा प्रसाद ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ दिनों की पुलिस हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीठ ने जाना चाहा कि क्या पुलिस ने पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। साल्वे ने कहा कि फोन जब्त कर लिए गए हैं और वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। साल्वे ने कहा कि अगर फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, तो आगे पूछताछ की जरूरत नहीं होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि यह कभी न खत्म होने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। अंत में पीठ ने आगे की सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। साल्वे ने आशासन दिया कि पीठ के संदेह को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

दरअसल मामले की उचित जांच की मांग करते हुए दो अधिवक्ताओं द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर जनहित याचिका दर्ज की गई है। पिछली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई जांच पर अपना असंतोष दर्ज किया था।

पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को समन जारी किया है, तो पीठ ने पूछा कि क्या सभी हत्या के मामलों में यही नियम है। पीठ ने कहा कि यह 8 लोगों की निर्मम हत्या का मामला है और ऐसे में पुलिस आमतौर पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। पीठ ने यह भी बताया कि प्रत्यक्षदर्शी के स्पष्ट बयान हैं।

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि जो भी इसमें सामिल है, उसके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए। पीठ ने विशेष जांच दल की संरचना पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी व्यक्ति स्थानीय अधिकारी हैं। पीठ ने यह

भी पूछा कि क्या राज्य इस मामले को सीबीआई को सौंपने पर विचार कर रहा है। एक बिंदु पर, चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि सीबीआई भी समाधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को आशासन दिया था कि कार्यवाही संतोषजनक नहीं है आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और एक वैकल्पिक एजेंसी द्वारा जांच की जाएगी। पीठ ने आदेश में दर्ज किया था कि वह राज्य पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात कर मामले में साक्ष्य और सामग्री को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ की तो खीरी टिप्पणी के बाद, आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस ने 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष

मिश्रा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, जिसमें सीबीआई को भी शामिल किया जाए। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की।

गौरतलब है कि किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के शब्द प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कुचल दिया था। इससे गुस्सा ए प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक की कथित तौर पर पीठ पीटकर हत्या कर दी थी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

## सरकारी निकम्मापन और अब रबी फसल के लिए खाद की कमी से परेशान किसान

रवींद्र गोयल

गेहूं, सरसों, चना, मसूर, आलू, प्याज और अन्य रबी फसलों कि बुवाई शुरू होने वाली है, सितंबर के बाद से हुई अतिरिक्त बारिश के कारण मिट्टी की नमी की स्थिति भी सबसे अनुकूल है। किसानों को उत्साहित होना चाहिए था लेकिन किसान परेशान है कि उसको जरूरत भर खाद उपलब्ध नहीं है। आम तौर पर किसान di-ammonium phosphate, (डीएपी), muricate of potash (एमओपी) और यूरिया इस्तेमाल करता है। रबी की सबसे महत्वपूर्ण अनाज, गेहूं, कि खेती के लिए किसान को प्रति एकड़ 110 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी और 20 किलो एमओपी चाहिए। सबसे पहले किसान डीएपी खेत को बुवाई से पहले तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त डीएपी फसलों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व हैं। बाद में नवम्बर में किसानों को बुवाई के 25/26 दिन बाद यूरिया भी चाहिए। लेकिन बाजार में इन सबकी कमी है। स्वाभाविक तौर पर खेती पर निर्भर किसान परेशान है, बदलवास है।

बाजार में न डीएपी और न यूरिया आसानी से निर्धारित दामों पर उपलब्ध है। पंजाब के किसान कह रहे हैं कि डीएपी की कमी के कारण उर्वरक कि कालाबाजारी हो रही है। किसान इस खाद को पड़ोसी हरियाणा से महंगे दामों पर लाने को म